न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीसागंन (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी

प्रार्थना पत्र संख्या

श्री समदरसिंह भाटी आर.ए.एस.

45 / 2020

1. श्रीमती गोमी देवी पत्नि भंवरलाल जाति रावत निवासी ग्राम सवाईपुरा तहसील पीसागंन जिला अजमेर

....प्रार्थी

बनाम

1. गिरधारी पुत्र मोती
2. आफू पुत्री कालू
3. उगमा पुत्र कालू
4. गोपाल पुत्र कालू
5. घेवर पुत्र कालू
6. पप्पू पुत्र कालू
7. सुखी पुत्री कालू
8. गुमानी पुत्री मल्ला
9. रामसिंह पुत्र मल्ला
10. शाना पुत्री मल्ला
    सुवा पुत्री मल्ला जाति रावत (फोत)
11. धारासिंह पुत्र बरमा
12. सुगनी पत्नि बरमा
13. हंजा पुत्री बरमा
14. नेनी पत्नि हुक्मा
15. हुक्मा पुत्र राजू
    जाति रावत निवासी ग्राम शिवपुरा पटवार हल्का धुवाडिया तहसील पीसागंन जिला अजमेर
16. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय पीसागन जिला अजमेर।

... अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251अ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :— श्री पुष्पेन्द्र सोनी श्री सर्वेश्वरसिंह राठौड — अभिभाषक प्रार्थी

श्री मदनपुरी गोस्वामी — अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1

श्री विजयप्रकाश कुमावत — अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1,3से 6, 8,9,11,15

—: निर्णय :— दिनांक 17.03.2021

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक के यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251—अ रा0 का0 अधिनियम 1955 का अप्रार्थीगण के विरूद्व इस तथ्य के साथ प्रस्तुत किया कि ग्राम शिवपुरा पटवार हल्का धुवाडिया भू—अभिलेख निरीक्षक करनोस तहसील पीसागन के वर्तमान जमाबदीं संवत 2071—74 के खाता संख्या 87 नया 78 पुराना के खसरा नम्बर 805, 806, 819, 840, 861, 3132/792 व खाता संख्या 86 नया 77 पुराना के खसरा नम्बर 3133/792, 3134/793, 804, 807, 820, 841, [illegible] की आराजी है । प्रार्थीया को अपने खेत खसरा संख्या 819 ,820 पर जाने के लिये [illegible] खसरा संख्या 799 तथा खसरा संख्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Samadar Singh Bhati
Date: 2021.09.06 15:15:31 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर पीसांगन

797, 3139/795, 3138/795, 822 व 821 में से होकर जाना पड़ता है जो वर्तमान में अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 15 के नाम खातेदारी दर्ज है। जिसमें प्रार्थीया को 15 फुट रास्ता दिलाया जावे।

जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने जवाब में निवेदन किया कि प्रार्थीया वर्तमान में आराजी खसरा संख्या 891 व 823 जो कि गैर मुमकिन सूखा नाला है, से आवागमन करती आ रही है तथा अन्य खातेदार भी उक्त नाले से आते जाते रहे है। प्रार्थीया को भूमि रूपान्तरण करवाने यानि अकृषि प्रयोजनार्थ रास्ते की आवश्यकता है जो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए में विहित प्रावधानों के विपरीत हैं क्योंकि उक्त प्रावधानों के अन्तर्गत केवल कृषि कार्य एवं खातेदारी भूमि पर आने जाने हेतु ही रास्ता प्रस्तावित है। साथ ही अप्रार्थीगण की भूमि जो कि पहले से ही कम रकबे की है जिसमें लगभग 14 सह खातेदार है उसमें से रास्ता दिये जाने से सभी सहखातेदारों के मध्य नहीं के बराबर आराजी रह जायेगी। प्रार्थीया को उक्त रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता नहीं है अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमावें।

तहसीलदार पीसागंन से प्राप्त मौका रिपोर्ट का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि प्रार्थीया द्वारा चाहा गया रास्ता ही प्रार्थीया के लिये सबसे नजदीक है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है । **तहसीलदार पीसागंन को आदेश दिये जाते है कि ग्राम शिवपुरा तहसील पीसागंन में वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया के खेत खसरा संख्या 820, 819 में आने जाने के लिये खसरा संख्या 821, 822, 797, 784, 3139/795 में से 15 (पन्द्रह) फीट चौडा रास्ता गै.मु. रास्ते के रूप में प्रार्थीया द्वारा नियमानुसार राशि 821, 822, 797, 784, 3139/795 के खातेदारों के नाम हिस्से अनुसार बैंकर्स चैक प्रस्तुत कर दिये जाने के बाद अंकन करें साथ ही तहसील राजस्व लेखाकार पीसागंन को रास्ते में आने वाली भूमि की वर्तमान प्रचलित डी.एल.सी. से दुगुनी राशि की गणना करा कर प्रार्थीया को अवगत करावें। अप्रार्थीगण के राशि लेने से मना करने पर राशि राजकोष में जमा करवा कर रास्ते का अकंन किया जावे।**

निर्णय आज दिनांक 17.03.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (अजमेर) पीसांगन

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
पीसांगन

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
पीसांगन

Signature Not Verified

Digitally signed by Samadar Singh Bhati
Date: 2021.09.06 16:15:31 IST
Reason: SelfAttested